गई है जिस हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में धनराज पुत्र सुखाराम के स्थान धनराज चौधरी पुत्र सुखाराम चौधरी दर्ज किये जाने की अभिशंषा के संबंध में उल्लेख किया है जिस कारण प्रार्थी की यह इस्तदुआ स्वीकार योग्य प्रतीत पाई गई है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि धनराज चौधरी एवं धनाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

. अतः राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम मौजा सांडिला तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 81 एवं मौजा बालाजीनगर के खतौनी संख्या 71 सम्वत 2073–2076 में दर्ज सहखातेदार नाम धनाराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर वास्तविक नाम धनराज चौधरी पुत्र सुखाराम चौधरी दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ग्राम मौजा सांडिला तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 81 एवं मौजा बालाजीनगर के खतौनी संख्या 71 सम्वत 2073–2076 में दर्ज सहखातेदार नाम धनाराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर वास्तविक नाम धनराज चौधरी पुत्र सुखाराम चौधरी दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner